

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 21 जनवरी, 1994
में विचारणीय विषयों की कार्य-सूची।

क्रम सं०	विषय	पृष्ठ संख्या
1	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25 नवम्बर/2 दिसम्बर, 1993 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	01
2.	भूखण्ड संख्या:बी-1/52, अशोक मार्ग पर अनुमन्य भू-आच्छादन एवं तलानुपात के छूट विषयक	16
3.	स्कूल भूखण्डों के आवन्टन के सम्बन्ध में।	18
4.	डा० अतुल खन्ना को आवन्टित भू०स०:34 नैपथर रोड पार्ट-2 के स्थान पर गोमती नगर योजना के अर्न्तगत भूखण्ड परिवर्तन का प्रस्ताव।	23
5.	श्रीमती मन्जू जौहरी को अलीगंज योजना में आवन्टित भूखण्ड संख्या:बी-1/4,सी०एस० के परिवर्तन का प्रस्ताव।	24
6.	नकद भुगतान पध्दति पर आवन्टित भवन की धनराशि कित्तों में लिये जाने से सम्बन्धित।	25
7.	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय	

=====
=====

विषय संख्या: 1

पृष्ठ संख्या: 1१२१

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनोंक 25 नवम्बर/2 दिसम्बर, 1993
के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनोंक 25 नवम्बर/

2 दिसम्बर, 1993 को कार्यवृत्त पुष्ट हेतु

संलग्न है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक जो दिनांक 25 नवम्बर, एवं 2 दिसम्बर, 1993 को

अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण के कार्यलय कक्ष में हुई,

का कार्यवृत्त


उपस्थिति:

1. श्री अरविन्द वर्मा,
आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।
2. श्री अतुल कुमार गुप्ता,
उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।
3. श्री शंकर अग्रवाल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
वित्त विभाग,
विधान भवन, लखनऊ।
4. श्री जय शंकर मिश्र,
ज़िलाधिकारी,
लखनऊ। § केवल 25 नवम्बर, 1993 §
5. श्री सुभाष चन्द्र बहुलण्डी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
विकास भवन, लखनऊ।
6. श्री बी०के०सिंह यादव,
मुख्य नगर अधिकारी,
नगर महापालिका, लखनऊ। § केवल 25 नवम्बर, 1993 §
7. श्री हरे कृष्ण शर्मा,
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. श्री एस०के०वर्मा,
मुख्य अभियन्ता,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ। § केवल 25 नवम्बर, 1993 §
8. श्री पी०के०पाण्डे,
मुख्य अभियन्ता,
उ०प्र० जलनिगम, लखनऊ। § केवल 2 दिसम्बर, 1993 §

अन्य उपस्थिति:

1. श्री एम-ए-ए-ज्ञान,
सचिव,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

MCDU



बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व अकेले तथा उसके उपरान्त माननीय सभासद सर्वश्री राजीव बाजपेयी, लक्ष्मी नारायन एवं अज़हर बेग सभा कक्ष में अध्यक्ष महोदय के समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने अपना परिचय देते हुए बताया कि वे बैठक में भाग लेने के लिये आये हैं। अध्यक्ष महोदय ने उनकी बात सुनी एवं उन्हें अवगत कराया कि प्राधिकरण के सदस्य के रूप में उनके मनोनयन के विषय पर महापालिका प्रशासन से विचार चल रहा है तथा समुचित रूप से समाधान होने पर उन्हें सादर आमंत्रित किया जायेगा तथा इस बैठक हेतु उन्हें आमंत्रित न किये जाने के कारण उनका बैठक में सम्मिलित होना दुविधा पूर्ण होगा। इस पर सभासदों ने विरोध प्रकट किया तथा बाद में विरोध स्वस्म लिखित पत्र भी दिया। उनके प्रस्थान के उपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।


विषय संख्या: क.1 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29-6-1993 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय : प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29-6-1993 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

विषय संख्या: क.2 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29-6-1993 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णय : अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया। अध्यक्ष ने यह निर्देश दिये कि जो निर्णय पूर्व बैठक में लिये गये हैं उनका अनुपालन शीघ्रता से सुनिश्चित किया जाये, विशेष कर विषय संख्या: 14 पर अकिंत स्व० श्री फय्याज़ अहमद की पत्नी को पारिवारिक पेन्शन तथा अनुपूरक विषय संख्या: 1 पर अकिंत फ़ातिमा अस्मतात को अतिरिक्त भूमि आवंटन के मामले में दिनांक 29 जून, 1993 को हुई प्राधिकरण की बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुपालन हेतु समय सीमा निर्धारित कर दी जाये। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि भविष्य में अनुपालन की कार्यवाही के रजिस्ट्रार को दो भागों में बांट दिया जाये। एक भाग में पिछली बैठक का अनुपालन प्रस्तुत किया जाये तथा दूसरे भाग में उससे पूर्व में हुई तीन बैठकों के ऐसे विषय प्रस्तुत किये जाएँ जिनमें कार्यवाही पूर्ण होने की सूचना बोर्ड को न प्रस्तुत की गई हो।

उपरोक्त के अलावा अध्यक्ष ने यह भी निर्देश दिये कि भविष्य में यदि अनुपूरक विषय सूची बनाने की आवश्यकता पड़े तो अन्तिम विषय "अध्यक्ष की अनुमति से" के अन्तर्गत उसे क्रमवार प्रस्तुत किया जाय।

The block contains several handwritten signatures and initials. On the left, there is a signature that appears to be 'Reth'. In the center, there is a signature that looks like 'meau'. To the right of 'meau', there are some scribbled initials or marks.


विषय संख्या: क-3

लखनऊ विकास प्राधिकरण के नियन्त्रण में किराया पध्दति पर निर्मित आवासीय भवनों के नामान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में नीति निर्धारण।

निर्णय :

विचार विमर्श के उपरान्त निम्नांकित निर्णय लिये गये:-

- 【क】 प्राधिकृत किरायेदार अपने जीवन काल में यदि अपने नज़दीकी रिश्तों अर्थात् पति/पत्नी, पुत्र/पुत्रियों का नाम अपने साथ अंकित कराना चाहता है तो किसी एक का नामान्कन आच्छादित क्षेत्रफल का रु० 1/- प्रति वर्ग फिट प्रति माह की दर से किराये के भुगतान हेतु शपथपत्र पर सहमति देने के उपरान्त सम्मिलित किया जा सकेगा।
- 【ख】 आवन्तित किरायेदार की मृत्यु के उपरान्त उसकी विधवा पत्नी/विधुर पति का नामान्तरण सामान्य शर्तों के अधीन किराये में बिना किसी प्रकार की वृद्धि के किया जाये। विधवा/विधुर के अलावा किसी अन्य एक उत्तराधिकारी के पक्ष में नामान्तरण का आवेदन तभी स्वीकार किया जायेगा जब अन्य उत्तराधिकारियों द्वारा उसके पक्ष में स्वीकृति दी गई हो अथवा सक्षम न्यायालय द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र दिया गया हो। ऐसी स्थिति में किराये की दर रु० 1/- प्रति वर्गफुट प्रतिमाह आच्छादित क्षेत्रफल का की दर पर सहमति देने के उपरान्त ही नामान्तरण किया जायेगा।
- 【ग】 ऐसे मामले जहाँ किरायेदारी एक निश्चित अवधि के लिये दी गई थी उनमें यदि किरायेदारी बढ़ाने का आवेदन किया जाता है तो ऐसी प्रार्थना 25 प्रतिशत किराया बढ़ाते हुए स्वीकार की जा सकती है।
- 【घ】 किरायेदारी की एक मौजूदा महत्वपूर्ण शर्त यह है कि किरायेदार अथवा उसके परिवार में किसी के नाम लखनऊ नगर में कोई भवन न हो। इसका पालन अवश्यमेव किया जाय। यदि किसी प्रकरण में यह तथ्य छिपाया जाता है या बाद में उसके नाम भवन हो जाता है तो वह आवन्तन निरस्त करके किसी अन्य को आवन्तन किया जाना चाहिये।
- 【च】 किसी भी नामान्तरण/नाम जोड़ने से पूर्व बकाया का भुगतान प्राप्त कर लिया जाय।



विषय संख्या: क-4

इन्डस्ट्रियल एरिया रेहाबाग में ऐसे औद्योगिक पट्टे जो शासनादेश द्वारा बंदी
गये थे जिनमें नवीनीकरण के समय आरक्षित प्रीमियम व किराया लिये जाने
का उल्लेख है, के सम्बन्ध में आरक्षित प्रीमियम निर्धारित करने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

विचारोपरान्त विद्वान संख्या: 2 " जिस दर से लीज रेन्ट की दर में वृद्धि
की गई है उसी दर से शासनादेश द्वारा निर्धारित प्रीमियम में वृद्धि की
जा सकती है अर्थात् 2-1/2 गुना की जा सकती है।" अनुमोदित किया गया।

यह भी निर्णय लिया गया जो व्यक्ति आवन्तित सम्पत्ति का औद्योगिक
उपयोग नहीं कर रहा है उसका पट्टा निरस्त करने के सम्बन्ध में कार्यवाही
की जाये।

विषय संख्या: क-5

विभिन्न निगमों/उद्यमों में तेनात वरिष्ठ अधिकारियों के लिये तबन्त में
राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

विचार-विमर्श के उपरान्त स्पेन्डा टिप्पणी में उल्लिखित कार्यवाही को कार्यान्तर
अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय संख्या: क-6

इम्प्लूवमेन्ट ट्रस्ट की पट्टागत भूमि जिनकी लीज शर्तों में उप विभाजन के लिये
पूर्व सहमति/अनुमति लेना आवश्यक है, के सम्बन्ध में नीति निर्धारण तथा
इम्प्लूवमेन्ट ट्रस्ट की भूमि को फ्री-होल्ड किया जाना।

निर्णय :


विचार विमर्श के दौरान यह महसूस किया गया कि प्राधिकरण की बैठक दिनांक
15-4-1993 में इम्प्लूवमेन्ट ट्रस्ट की भूमि को नजूल भूमि के अनुसार फ्री-होल्ड
किया जाना उचित रहेगा परन्तु, यह देखते हुए कि यह प्रकरण शासन के
विचाराधीन है, निर्णय लिया गया कि उक्त नीति लागू होने तक स्पेन्डा टिप्पणी
के बिन्दु क-1, क-2 एवं क-3 के अनुसार कार्यवाही की जाये। यह
भी तय हुआ कि यह उपविभाजन केवल आवासीय पट्टागत भूमि का किया
जा सकेगा।

विषय संख्या: क-7

दैनिक वेतन भोगी/वर्कचार्ज कर्मचारियों के दैनिक दरों में 15 प्रतिशत वृद्धि
सम्बन्धी प्रस्ताव।

निर्णय:

निर्णय लिया गया कि राजकीय निर्माण निगम, उ०प्र० जलनिगम, उ०प्र० आवास
एवं विकास परिषद तथा अन्य प्राधिकरणों से बड़ी प्रचलित दरों के सम्बन्ध
में जानकारी प्राप्त कर ली जाये तथा तदुपरान्त विस्तृत प्रस्ताव प्राधिकरण
के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।



विषय संख्या: क-8

स्कूल भूखण्डों तथा होटल भूखण्डों में निर्माण निर्धारित अवधि में न होने के कारण अनिर्माण शुल्क लिये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय :

विचार विमर्श के उपरान्त स्पेन्डा टिप्पणी में प्रस्तुत प्रस्ताव इस संशोधन के साथ अनुमोदित किया गया कि स्कूल भवन के निर्माण के लिये अधिकतम अवधि आठ वर्ष होगी, जिसकी गणना अनुबन्ध, भूमि का क़ज़ा अथवा रजिस्ट्रेशन की तिथि, जो भी पहले हो, से की जाये।

होटल भूखण्डों के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि जिन भूखण्डों पर नान स्टार होटल बनाया जाना है उनमें निर्माण पूर्ण करने की अवधि पाँच वर्ष तथा स्टार होटल के लिये यह अवधि 10 वर्ष रसी जाये। अवधि की गणना अनुबन्ध, भूमि का क़ज़ा अथवा रजिस्ट्रेशन की तिथि, जो भी पहले हो, से की जाये। इस अवधि के पश्चात नान स्टार होटल के लिये छठे वर्ष 2 प्रतिशत लेवी, सातवें वर्ष 3 प्रतिशत लेवी, आठवें वर्ष 4 प्रतिशत लेवी, नवें वर्ष सात प्रतिशत लेवी एवं दसवें वर्ष 10 प्रतिशत लेवी लगाई जाये। दस वर्ष के पश्चात भूखण्ड के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाये। इसी प्रकार स्टार होटल के लिये ग्यारहवें वर्ष 2 प्रतिशत लेवी, बारहवें वर्ष 4 प्रतिशत लेवी, तेरहवें वर्ष 8 प्रतिशत लेवी, चौदहवें वर्ष 12 प्रतिशत लेवी एवं पन्द्रहवें वर्ष 20 प्रतिशत लेवी लगाई जाये। पन्द्रह वर्ष के उपरान्त भूखण्ड के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाये।

विषय संख्या: क-9

भूमि अर्जन योजनाओं, आवासीय योजनाओं, आपरेशनल फ़ाइनेन्स व इन्फ़्रस्ट्रक्चर आदि योजनाओं के अर्न्तगत हुडको अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने हेतु प्राधिकरण की ओर से उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 को सँकल्प पारित करने का अधिकार।

निर्णय :


विचार-विमर्श के उपरान्त स्पेन्डा टिप्पणी में उल्लिखित प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या: क-10

गोमती नगर योजना के द्वितीय चरण में आवन्तित आवासीय भूखण्डों पर लगाये गये दण्ड ब्याज को माफ़ किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय :

विषय संख्या: क-16 के अर्न्तगत प्रस्तुत रेसे डी प्रस्ताव को देखते हुए इस प्रस्ताव को वापस लिया गया।



विषय संख्या: क-11 लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कानपुर रोड योजना/रायबरेली रोड योजना के अर्न्तगत बिन्डर्स को आवंटित क्षेत्र के अर्न्तगत तकनीकी रूप से स्वीकृत, परन्तु मतवा शुल्क न जमा करने के कारण परमिट को निर्गत न करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचारोपरान्त एजेन्डा टिप्पणी के प्रस्ताव संख्या: 11 और 12 इस संशोधन के साथ अनुमोदित किये गये कि 12 के अर्न्तगत लिये जाने वाले 18 प्रतिशत ब्याज में 15 प्रतिशत ब्याज तथा 3 प्रतिशत शमनशुल्क माना जाएगा।

विषय संख्या: क-12 विकास प्राधिकरण की किराये पर उठी अमितव्ययी सम्पत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश दिनांक 16-6-93 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचारोपरान्त यह निर्णय हुआ कि इस सम्बन्ध में मण्डलायुक्त, लखनऊ की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर दी जाये जिसके सदस्यगण उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0, जिलाधिकारी, लखनऊ अध्यक्षता उनके द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी, अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग तथा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश होंगे।

यह भी निर्णय लिया गया कि चूंकि उक्त समिति में अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण रहेंगे ही, अतः प्राधिकरण द्वारा लोक निर्माण विभाग के मापदण्ड के आधार पर बनाये गये प्रस्ताव पर लोक निर्माण विभाग से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।


उपरोक्त का कार्यान्वयन करने से पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त करने का भी निर्णय लिया गया।

विषय संख्या: क-13 विद्युत कनेक्शन हेतु अनापील प्रमाणपत्र निर्गत करने का अधिकार प्रतिनियमित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्ताव वापस लिया गया।

विषय संख्या: क-14 कानपुर रोड योजना में बी0ओ0टी0 बिन्ड आपरेट रेण्ड ट्रान्सफर के आधार पर शीत की भूमि को विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : इस बात को भी दृष्टिगत रखते हुए कि हालांकि इस सम्बन्ध में कोई निविदा/आफर आदि नहीं मांगे गये हैं, फिर भी टाटा कनसलटेन्सी सर्विसेज की ब्याति एवं विभिन्न क्षेत्रों में उनकी दक्षता एवं क्षमता तथा उनके कनसलटेन्सी सर्विसेज के अनुभव को दृष्टिगत रखते हुए एजेन्डा टिप्पणी में वर्णित प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।



विषय संख्या: क-15 आपसी सहमति से भूखण्ड या भवन परिवर्तन किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय : विचार विमर्श के उपरान्त स्नेन्डा टिप्पणी में बर्णित प्रस्ताव इस संशोधन के साथ स्वीकृत किया गया कि पैरा 2॥1॥ के अन्तर्गत दोनों पक्षों से पाँच-पाँच प्रतिशत पंजीकरण परिवर्तन शुल्क प्राप्त किया जाये।



विषय संख्या: क-16 गोमती नगर योजना के द्वितीय चरण में आवन्तित भूखण्डों में निर्धारित तिथि तक धनराशि जमा न करने पर दण्ड ब्याज लिये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय : विचार विमर्श के पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये :-

॥1॥ चूकि लखनऊ विकास प्राधिकरण को वर्तमान दरों के अनुसार विकास कार्य पर व्यय करना पड़ेगा, अतः किसी भी आवन्टी का दण्ड ब्याज माफ न किया जाये।

॥2॥ चूकि इस योजना में विकास कार्य होने में विलम्ब हो रहा है अतः जो आवन्टी अपनी जमा धनराशि वापस लेना चाहते हैं उन्हें 9 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज के साथ धनराशि वापस कर दी जाये।

॥3॥ चूकि इस योजना में विकास कार्य करने में समय-समय पर अवरोध उत्पन्न होते रहते हैं तथा विकास कार्य सुचारु रूप से नहीं हो पा रहे हैं, इसलिये इस योजना के समस्त आवन्तियों को एक पत्र के माध्यम से आफुर भेज दिया जाये कि बर्णित परिस्थितियों में भूखण्ड का कृज़ा देने में विलम्ब हो रहा है जो अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण है, अतः यदि वे अपनी जमा धनराशि वापस लेना चाहते हैं तो बिना कटौती के 9 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित अपनी धनराशि वापस प्राप्त कर सकते हैं। पत्र में यह भी स्पष्ट कर दिया जाय कि यदि वे समयान्तर्गत वापसी हेतु आवेदन नहीं करते हैं तो यह मान लिया जायेगा कि वे परिस्थितियों को देखते हुए भी इस योजना में सम्पत्ति लेने में स्वीच रहते हैं तथा धनराशि वापस नहीं ले रहे हैं।



विषय संख्या: क.17

राणा प्रताप मार्ग, अशोक मार्ग, बज़ीर हसन रोड तथा गोमती बैराज को जाने वाली बाई पास के भीतरी क्षेत्र के अर्न्तगत प्रभावी महायोजना 2001 के प्रस्तवित मार्गों का व्यवहारिकता एवं वर्तमान चौड़ाई को दृष्टिगत रखते हुए कतिपय मार्गों की चौड़ाई कम करने पर नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा तैयार नीतिगत प्रस्ताव पर विचार।

निर्णय :

तत्समक महायोजना 2001 के कतिपय प्राविधानों की व्यवहारिकता को दृष्टिगत रखते हुए राणा प्रताप मार्ग, अशोक मार्ग, बज़ीर हसन रोड तथा गोमती बैराज की ओर जाने वाले बाई-पास के भीतरी क्षेत्र के लिये मार्गों की चौड़ाई निर्धारित करने के बारे में उच्च स्तर पर हुए विचार विमर्श के अर्न्तगत मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश द्वारा एक पुनः संशोधित प्रस्ताव §टिप्पणी एवं मानचित्र§ प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत किया गया। प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि इस प्रस्ताव पर नियमानुसार उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-13§3§ के अर्न्तगत जनता से आपत्तियों एवं सुझाव आमन्त्रित कर लिये जायें। जनता से प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर सुनवाई करने हेतु निम्नांकित समिति का गठन किया गया जो प्राप्त आपत्ति एवं सुझावों पर विचार विमर्श कर अपनी सँस्तुति प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत करेगी:-

- §1§. सचिव, तत्समक विकास प्राधिकरण,
- §2§. वरिष्ठ नियोजक, नगर नियोजन विभाग, उ०प्र०,
- §3§. पुलिस अधीक्षक/यातायात/सर्किट ऑफिसर/यातायात§,
- §4§. मुख्य नगर नियोजक, त०वि०प्र०- संयोजक

विषय संख्या: स.1

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक § सिडबी § द्वारा 15, अशोक मार्ग, तत्समक पर प्रस्तावित कार्यालय भवन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

निर्णय:

जिन प्रकरणों पर विचार विमर्श किया गया वह निम्न प्रकार हैं:-

- §1§. प्रश्नगत भूखण्ड में अशोक मार्ग स्थित है तथा उत्तर एवं दक्षिण में दो सँकरी गलियाँ भूखण्ड की पूरी लम्बाई तक विद्यमान है। विचाराधीन बिन्दु यह है कि इन सँकरी गलियों को चौड़ा करने के लिये प्रार्थी से क्या अपेक्षा की जानी चाहिये।

॥2॥ दूसरा विचाराधीन बिन्दु यह था कि यदि भवन की प्रस्तावित ऊँचाई के आधार पर सेट-बैक हेतु 6.00 मीटर से अधिक छोड़ने की आवश्यकता हो तो अग्निशमन हेतु 6.00 मीटर का सुला स्थान चारों ओर छोड़कर जिस अतिरिक्त चौड़ाई को सुले स्थान के रूप में छोड़ना महायोजना के प्राविधानों के अनुसार आवश्यक है वह क्या उपर्युक्त मंज़िलों पर छोड़कर पूरा किया जाना न्यायसंगत होगा।

पहले बिन्दु पर विचार कर निर्णय लिया गया कि महायोजना के प्राविधान- 6.2४व४, जिसमें आवागमन हेतु सँकीर्ण गलियों की न्यूनतम चौड़ाई का प्राविधान है, के अनुसार ही प्रार्थी को अनुमति दिया जाना उपयुक्त होगा क्योंकि जहाँ तक प्रार्थी का प्रश्न है, उसे अशोक मार्ग से सीधे पहुँच मार्ग उपलब्ध है और उसके लिये ये दोनों गलियाँ मुख्य मार्ग के रूप में उपयोगी नहीं हैं।

दूसरे बिन्दु पर विचार कर निर्णय लिया गया कि यदि प्रार्थी अपने प्रस्तुत नौ मंज़िला भवन के लिये भूतल पर न्यूनतम 6.00 मीटर का सेट-बैक छोड़कर, उपयुक्त मंज़िलों पर महायोजना के प्राविधानों के अनुसार, अतिरिक्त आवश्यक सेट-बैक छोड़ता है तथा अग्निशमन अधिकारी इस पर अपना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान कर देता है तो इस प्रकरण विशेष का तदनुसार निस्तारण कर दिया जाये।

विषय संख्या: स-2

सहायक महाप्रबन्धक, दूरसंचार, भूखण्ड संख्या: 8, ससरा स0:104, वार्ड ला-प्लास पर प्रस्तुत बहुमंज़िले कार्यालय भवन के भू-उपयोग की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

निर्णय :


प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।


- विषय संख्या: सा-3 शारदा नगर योजना । रायबरेली रोड योजना । में चेशायर होम्स इन्डिया की भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में।
- निर्णय : विचार विमर्श के उपरान्त एजेन्डा टिप्पणी के पैरा-7।।।/।।। वाला प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
- विषय संख्या: सा-4 मसीहा चैरिटेबुल हास्पिटल लखनऊ के गोमती नगर योजना में भूमि के आवंटन से सम्बन्धित।
- निर्णय : प्रस्ताव पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि गोमती नगर योजना में रियायती दर पर चिकित्सा सुविधाओं हेतु पूर्व में कई अस्पतालों इत्यादि को भूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है अथवा "कमिटमेंट" है। अतः अब और इकाइयों को रियायती दर पर भूमि दिया जाना सम्भव नहीं है। गोमती नगर योजना के अतिरिक्त अन्य किसी योजना में उक्त प्रयोजन हेतु यह संगठन भूमि लेना चाहे तो आवासीय दर की आधी दर पर इस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा सकती है।
- विषय संख्या: सा-5 गोमती नगर योजना का नाम लखनऊ नगर महापालिका द्वारा राजीवगांधी नगर रखने के सम्बन्ध में।
- निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि लम्बे समय से प्रयोग में आ रहे नाम, गोमती नगर योजना, का नाम परिवर्तित न किया जाय।
- विषय संख्या: सा-6 मोहल्ला कर्बला अगामीर, नरही में स्थित नजूल भूखण्ड संख्या:53/54 के पार्ट पर होटल बनाने के सम्बन्ध में।
- निर्णय : विचार विमर्श में यह बात स्पष्ट हुई कि एजेन्डा आख्या में यह नहीं प्रकट किया गया था कि यही प्रस्ताव प्राधिकरण की पिछली बैठक में 29-6-93 को प्रस्तुत हुआ था, तथा निरस्त हुआ था। इस सम्बन्ध में बोर्ड ने असेतोप प्रकट किया तथा यह निर्णय लिया गया कि पूर्ण तथ्यों पर बोर्ड की निम्न उपसमिति विचार कर निर्णय ले ले:-
- | | |
|-----------------------------|----------|
| अध्यक्ष- | अध्यक्ष, |
| उपाध्यक्ष | सदस्य, |
| विशेष सचिव, आवास- | सदस्य, |
| मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक- | सदस्य |
- विषय संख्या: सा-7 मवेय्या स्थित ट्रस्ट भूखण्ड संख्या: 363 ए/14 के सम्बन्ध में।
- निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि मोके पर जांच कर ती जाये कि कितने भाग पर गुम्बदारा स्थित है तथा कितना भाग आवासीय है और उसके आधार पर प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।


Abh

M. Ram



- विषय संख्या: सा-8 श्रीमती मन्जुल अग्रवाल पत्नी श्री नरेश अग्रवाल, पूर्व विधायक, हरदोई को निबन्धित भूखण्ड संख्या: सी/101 ए सेक्टर जे अलीगंज के स्थान पर गोमती नगर योजना के अन्तर्गत भूखण्ड परिवर्तन का प्रस्ताव।
- निर्णय : प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि अलीगंज योजना में आवन्तित क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल का भूखण्ड गोमती नगर योजना में परिवर्तित किया जाये।
- विषय संख्या: सा-9 डा0 राजीव कुमार सक्सेना को भूखण्ड संख्या:सी-895 महानगर के स्थान पर गोमती नगर योजना में "बी" प्रकार का भूखण्ड आवन्तित करने के सम्बन्ध में।
- निर्णय : प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
- विषय संख्या: सा-10 श्री यू0के0पवन को कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत आवन्तित भूखण्ड के स्थान पर गोमती नगर योजना के अन्तर्गत वैकल्पिक भूखण्ड आवन्तित किये जाने का प्रस्ताव।
- निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
- विषय संख्या: सा-11 खसरा संख्या: 148, 149, 150, 151, 153, 154, 157 एवं 171 स्थित ग्राम आदिल नगर परगना तहसील एवं जिला लखनऊ का भू-उपयोग बस एवं ट्रक टरमिनल से आवासीय किये जाने के सम्बन्ध में।
- निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि पहले यह दिसवा लिया जाये कि बस ट्रक टरमिनल को कहीं स्थापित किया जायेगा, तदुपरान्त प्रस्ताव रखा जाये।
- विषय संख्या: सा-12 कानपुर रोड योजना तथा शारदा नगर योजना, रायबरेली रोड योजना में बिल्डर्स को आवन्तित भूमि से सम्बन्धित।
- निर्णय : प्रस्तुत रजेन्डा आख्या का अवलोकन किया गया।
- विषय संख्या: सा-13 श्री अमिताभ अग्रवाल को भवन संख्या: रमडी-1/सी, अलीगंज पर आरोपित दण्ड ब्याज माफ़ किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।
- निर्णय : विचार विमर्श के उपरान्त यह स्पष्ट हुआ कि प्रश्नगत अवीधि का किराया प्राधिकरण प्राप्त कर चुका है, अतः निर्णय लिया गया कि इस अवीधि का ब्याज न लिया जाय।







- विषय संख्या: स-14 10-ए, मदन मोहन मालवीय मार्ग पर मे0 यूनिटेक व्दारा प्रस्तुत ग्रुप-हाउसिंग मानचित्र के सम्बन्ध में।
- निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
- विषय संख्या: स-15 14- जापलिंग रोड पर श्री भीमसेन बक्री व अन्य व्दारा प्रस्तुत ग्रुप-हाउसिंग की स्वीकृति के सम्बन्ध में।
- निर्णय : प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि चूँकि अन्य प्राधिकरणों में यह अधिकार प्राधिकरण स्तर पर ही प्राप्त है, अतः सम्बन्धित शासनादेश का परीक्षण करा लिया जाये और यदि आवश्यक हो तो अधिकार प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में आगामी बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।
- अनुपूरक विषय स0:1 प्राधिकरण बोर्ड में निर्दिष्ट 55 वर्ग मीटर क्षेत्रफल से कम के भूखण्डों पर स्वीकृति में छूट का अधिकार किसी अन्य अधिकारी में निर्दिष्ट किये जाने के सम्बन्ध में।
- निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि 65 प्रतिशत ग्राउन्ड कवरेज एवं दो मीनल तक की अनुमति प्रदान करते हुए सामान्य नियमों के अन्तर्गत मानचित्र स्वीकृत किये जायें।
- अनुपूरक विषय स0: 2 श्री महेश प्रसाद वाजपेयी, लेखाकार, ल0वि0प्रा0 की पत्नी के उपचार पर हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति।
- निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि सरकारी अस्पताल का व्यय एवं दवाओं पर हुए व्यय को रिइम्बर्स कर दिया जाये।
- अनुपूरक विषय स0:3 श्री राघारमन अग्रवाल व अन्य व्दारा ससरा न0:354/355, जानकी प्रसाद गार्डन, सीतापुर रोड पर प्रस्तावित ग्रुप-हाउसिंग की स्वीकृति के सम्बन्ध में।
- निर्णय: प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
- अनुपूरक विषय स0: 4 अपर इन्डिया कूपर मित व्दारा भूखण्ड संख्या: 50 पी से 54 पी, 81 पी एवं 82 पी, निशातगंज रोड पर प्रस्तावित ग्रुप-हाउसिंग की स्वीकृति के सम्बन्ध में।
- निर्णय : प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।



अनुपूरक विषय स0:5 लखनऊ विकास प्राधिकरण के विभिन्न अनुभागों से सम्बन्धित संगणकीकरण
कमप्यूटराइजेशन के सम्बन्ध में।

निर्णय : मे0 सी0एम0सी0 द्वारा प्रस्ताव के क्रम में कमप्यूटर के माध्यम से प्रेजेंटेशन
किया गया जो सभी माननीय सदस्यों ने देखा। विचार-विमर्श के पश्चात यह
निर्णय लिया गया कि :

॥1॥ निम्नानुसार गठित समिति मैसर्स सी0एम0सी0 से मूल्य आदि
के बारे में "निगोशियेट" करेगी:-

॥क॥ उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,

॥ख॥ विशेष सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन,

॥ग॥ चीफ टेकनिकल कमप्यूटर, हुडको, नई दिल्ली।

॥2॥ यही समिति संगणक केन्द्र के वर्तमान स्वरूप तथा प्रस्तावित
स्वरूप का अध्ययन करके पदों के अपग्रेडेशन तथा नये पदों के सृजन के सम्बन्ध
में अपनी संस्तुति प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

॥3॥ प्रारम्भ में रु0 100 लाख तक के व्ययान्तर्गत कार्य कराने हेतु
प्राधिकृत किया गया। इस हेतु फेजिंग उपरोक्त समिति करेगी।


॥4॥ जिन विभागीय कर्मचारियों से संगणक का कार्य निष्पादित कराया
जाये उन्हें समय समय पर किये गये कार्य के विस्वद एक मुश्त मानदेय उपाध्यक्ष
अपने विवेक से स्वीकृत कर सकते हैं।


अनुपूरक वि0स0:6 प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29-6-93 के अनुपूरक विषय संख्या: 7 पर
अनुपालन आख्या।


निर्णय : विचारोपरान्त सन्दीर्भित खसरा संख्या की भूमि पर एल0पी0जी0 गोदाम हेतु
अनुमति इस शर्त के साथ दी गई कि इसका उपयोग आवासीय प्रयोजन हेतु
नहीं किया जायेगा।

अनुपूरक विषय स0:7 टिम्बर नगर ॥प्रियदर्शनी॥ योजना स्थित ग्राम पुरनिया के अन्तर्गत श्री हिमान्यु
रस्तोगी एवं सुधान्यु रस्तोगी की अर्जित भूमि के सम्बन्ध में।

निर्णय : एजेन्डा अख्या में वर्णित दूसरे विकल्प के बिन्दु ॥क॥ एवं ॥ख॥ अनुमोदित
किये गये। उसी के ॥ग॥ एवं ॥घ॥ के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि प्रत्येक
रस्तोगी बन्धु को एक-एक विकसित आवासीय भूखण्ड, जिसका क्षेत्रफल 350
वर्गमीटर ॥प्रत्येक॥ से अधिक न हो, वर्ष 1983 की दर पर आवन्तित कर
दिया जाये परन्तु भूमि अर्जन अधिनियम के अनुसार 15 प्रतिशत वार्षिक साधारण
ब्याज भुगतान की तिथि तक लगा दिया जाये। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय
लिया गया कि प्रत्येक रस्तोगी बन्धु को उपरोक्त क्षेत्रफल का ही एक-एक अतिरिक्त
भूखण्ड भी उसी दर पर दे दिया जाये।







अनु0विषय स0: 8 कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग-6, रायबरेली रोड के अन्तर्गत विभिन्न ससरा नम्बरों को अर्जनीय प्रस्ताव से बाँटफुकुत करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

अनु0 विषय स0: 9 लखनऊ विकास प्राधिकरण में सहायक कर अधीसक/सहायक सम्पत्ति अधिकारी के चार पदों का सृजन।




निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव के अनुसार पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान करते हुए शासन के अनुमोदन हेतु भेजने की संस्तुति की गई।

अनु0विषय स0:10 भूखण्ड संख्या:बी/1-25 अशोक मार्ग में अनुमन्य भू-आच्छादन एवं तलानुपात में छूट विषयक।


निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रसन्नगत भूखण्ड पर 50 प्रतिशत ग्राउन्ड कवरेज तथा 150 रफ0र0आर0 की स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में जनता से सुझाव एवं आपत्तियों आमन्त्रित कर ली जायें। जनता से प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों की सुनवाई, विषय संख्या: क.17 के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा की जायेगी तथा यह समिति अपनी संस्तुति बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगी।


अनु0विषय स0: 11 विकास प्राधिकरण के पुराने व सबसे ज्यादा सराब वाहनों को नीलाम किये जाने के सम्बन्ध में।


निर्णय : विचारोपरान्त स्पेन्डा आस्या में वर्णित छः वाहनों को निष्प्रयोज्य किये जाने तथा उनके स्थान पर छः नये वाहन क्रय करने की अनुमति प्रदान की गई।



- अन्य विषय :** लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक: 29-6-1993 के विषय संख्या: 5, 6 एवं अनुपूरक विषय संख्या: 5 एवं 6 जो मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश को परीक्षण हेतु सन्दीर्घित किये गये थे, पर प्राप्त परीक्षण आख्या पर विचार।
- वि.स.:5, 29-6-93** फेज़ाबाद रोड स्थित गाजीपुर सैदुलिनिसों के अन्तर्गत लगभग 29370 वर्ग मीटर भूमि का भू-उपयोग "वृहद उद्योग" से आवासीय में परिवर्तन के सम्बन्ध में।
- निर्णय :** विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि भू-उपयोग परिवर्तन हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा जाये।
- वि.स.:6, 29-6-93** ए0पी0सेन रोड के भू-उपयोग सामुदायिक सुविधाओं, उपयोगिताएँ एवं सेवाएँ से होटल में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।
- निर्णय :** प्रस्तुत प्रस्ताव को विचारोपरान्त अस्वीकृत किया गया।
- अनु.वि.स.:5,29-6-93** अमीनाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत पारसी शाह लेन पर स्थित भूखण्डों का भू-उपयोग लेन की वर्तमान चौड़ाई 14 फिट 8 इंच को ध्यान में रखते हुए व्यवसायिक से आवासीय किये जाने के सम्बन्ध में।
- निर्णय :** प्रस्तुत प्रस्ताव इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया कि सड़क की चौड़ाई 12 मीटर ही रखी जाये। आवासीय भवनों का निर्माण किया जा सकता है परन्तु भवनों के मापदण्ड वाणिज्यिक ही रहेंगे।
- अनु.वि.स.:6, 29-6-93** 110, माल रोड स्थित इन्टेलीजेन्स ब्यूरो, भारत सरकार, के भू-उपयोग के सन्दर्भ में।
- निर्णय :** प्रस्तुत प्रस्ताव विचारोपरान्त अनुमोदित किया गया।


॥ रम.र.र.खान ॥
सचिव


॥ अतुल कुमार गुप्ता ॥
उपाध्यक्ष


अनुमोदित
॥ अरविन्द वर्मा ॥
24.12.93
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं
आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

विषय : भूखण्ड संख्या: बी-1/52, अशोक मार्ग पर अनुमन्य भू-आच्छादन एवं तलानुपात के छूट विषयक।

प्रस्ताव: उपरोक्त विषय प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.11/2.12.93 के अनुपूरक विषय संख्या: 10 के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिस पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया था कि : " प्रश्नगत भूखण्ड पर 50 प्रतिशत ग्राउन्ड कवरेज तथा 150 रफ0र0आर0 की स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में जनता से सुझाव एवं आपत्तियों आमन्त्रित कर ली जायें। जनता से प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों की सुनवाई, विषय सं0: क-17 के अर्न्तगत गठित समिति द्वारा की जायेगी तथा यह समिति अपनी संस्तुति बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगी।"

इससे पूर्व की जनता से आपत्तियों एवं सुझाव आमन्त्रित करने के लिये विज्ञापित जारी की जाती, मेसर्स हिन्दुस्तान लि0 ने अपने पत्र दिनांक 15-12-93 द्वारा माननीय मुख्य मन्त्री जी के समक्ष अपनी परिस्थितियों वश अनुरोध किया कि उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये मानचित्र को यथावत् स्वीकृत करने हेतु आवश्यक छूट प्रदान की जाये। उपरोक्त के सन्दर्भ में निम्न बातें विचारणीय हैं:-

§1§ महायोजनानुसार यह क्षेत्र आवासीय उपयोग हेतु आरक्षित है जिस पर प्राधिकरण की स्वीकृति के साथ 40 प्रतिशत ग्राउन्ड कवरेज एवं 100 रफ0र0आर0 अनुमन्य किया जा सकता है, जिसके स्थान पर पूर्व बैठक में 50 प्रतिशत ग्राउन्ड कवरेज एवं 150 रफ0र0आर0 किये जाने के सम्बन्ध में सहमति दी गई थी।

§2§ यदि मदन मोहन मालवीय मार्ग की महायोजनानुसार प्रस्तावित चौड़ाई को, प्राधिकरण की गत बैठक के विषय संख्या: क-17 में लिये गये निर्णय के क्रम में पुनरीक्षित कर दिया जाता है तो प्रस्तुत मानचित्र के अनुसार भवन का ग्राउन्ड कवरेज लगभग 52 प्रतिशत तथा रफ0र0आर0 200 जाता है। ग्राउन्ड कवरेज को लगभग 52 प्रतिशत तक स्वीकृत करने की दशा में आवेदक का प्रमुख तर्क यह है कि वर्तमान में मौके पर विद्यमान भवन का जो कवरेज है उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं है। यह बात अवश्य है कि वर्तमान में विद्यमान भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार है या नहीं, के बारे में स्वीकृत पत्रावली उपलब्ध न होने के कारण समाधान सम्भव नहीं है।

रफ0र0आर0 को 200 तक बढ़ाने के सम्बन्ध में आवेदक का प्रमुख तर्क यह है कि अशोक मार्ग के जिस भाग का अनुमन्य भू-उपयोग कार्यालय उपयोग है वहाँ रफ0र0आर0 200 है। उल्लेखनीय है कि अशोक मार्ग के कुछ भाग § हज़रतगंज चौराहे से राणा प्रताप मार्ग तक § दाहिनी ओर का क्षेत्र § में भू-उपयोग कार्यालय है, जहाँ रफ0र0आर0 200 अनुमन्य है जबकि प्रश्नगत भूमि का भू-उपयोग आवासीय है परन्तु सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से प्रिन्टिंग-प्रेस/समाचार पत्र कार्यालय रफ0र0आर0 100 के साथ अनुमन्य किये जाने का प्राविधान है।

मेसर्स हिन्दुस्तान टाइम्स लि०, जो कि राष्ट्रीय स्तर का समाचार पत्र है, उनकी प्रार्थना में कहा गया है कि भू-आच्छादन 50 प्रतिशत तथा रफ०र०आर० 150 करने पर भी उनकी अत्याधुनिक मशीनों तथा अन्य उपकरणों की आवश्यकताएँ पूरी नहीं हो रही है। इस परिपेक्ष्य में विशेष परिस्थितियों में पुर्नविचार अपेक्षित है। अतः प्रकरण में भू-आच्छादन व क्षेत्रानुपात §रफ०र०आर०§ के पुनः निर्धारण पर विचार करने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

विषय : स्कूल भूखण्डों के आवन्टन के सम्बन्ध में।

टिप्पणी: विकास प्राधिकरणों द्वारा व्यक्तियों/संस्थाओं को शैक्षिक, धर्मार्थ एवं अस्पताल चलाने हेतु भूमि के आवन्टन के सम्बन्ध में प्रक्रिया शासनादेश संख्या: 3018/11-5-89-607 डी0ए0/89, दिनांक 5-7-89 के अन्तर्गत निर्धारित है। इस शासनादेश की प्रति सेंलग्न है § सेंलग्नक-1 §।

2. विभिन्न योजनाओं में रिक्त स्कूल भूखण्डों का पंजीकरण समाचार पत्रों के माध्यम से दिनांक 16-7-93 से दिनांक 31-7-93 तक किया गया था और इस सम्बन्ध में जितने भी प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए थे उनका विवरण प्राधिकरण § बोर्ड § द्वारा गठित समिति के समक्ष दिनांक 30-11-93 को रखा गया था। इस समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 तथा सदस्य सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, कास्ट एकाउन्टेन्ट-कम-इकोनामिक प्लानर, ल0वि0प्रा0, बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ एवं जिला विधाय निरीक्षक लखनऊ है। इस समिति की बैठक दिनांक 30-11-93 को हुई थी। समिति ने सभी प्राप्त प्रार्थनापत्रों पर विचार किया। समिति की बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सेंलग्न की जाती है § सेंलग्नक-2 §।

3. उपरोक्त शासनादेश के अनुसार प्राधिकरण § बोर्ड § की भी संस्तुति की आवश्यकता है। बोर्ड की संस्तुति के पश्चात् विषय औपचारिक स्वीकृति हेतु शासन को भेजा जायेगा। अतः प्राधिकरण § बोर्ड § कृपया समिति की संस्तुति पर विचार करके निर्णय लेने का कष्ट करें।

प्रति,

पृष्ठ संख्या: 19

कर्मल सिंह,
सचिव,
आवास विभाग ।

सेवा में,

1- उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश ।

2- आयुक्त,
आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक: 5 जुलाई, 1989

विषय:- 30 प्र० आवास विकास परिषद एवं विकास प्राधिकरणों द्वारा
व्यक्तियों/संस्थाओं को शैक्षिक, धर्मार्थ अथवा अस्पताल चलाने हेतु
भूमि का आवंटन ।

30 प्र० आवास एवं विकास परिषद तथा प्राधिकरणों के समक्ष
संस्थाओं/व्यक्तियों को शैक्षिक उपयोगार्थ, धर्मार्थ अथवा अस्पताल चलाने हेतु
भूमि के आवंटन के प्रस्ताव आते रहते हैं । इस संबंध में शासन
नीति निर्धारित न होने के कारण इस बात की संभावना बनी रहती है कि
जो संस्था वास्तव में अच्छा कार्य कर रही है और जितनी सहायता की
जरूरत है उतनी आवश्यकता पर तो विचार किया जाए, और अन्य संस्था
भूमि आवंटन में तत्काल हो जाए ।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त स्थिति
को दृष्टिगत रखते हुए, विचारोपरान्त शासन ने यह निर्णय लिया है कि किसी
व्यक्ति/संस्था को सार्वजनिक कार्यों के लिए जितमें शैक्षिक उपयोग, अस्पताल
खोलना तथा धर्मार्थ संस्था आदि खोलना सम्मिलित है, को भूमि आवंटन के लिये
निम्नलिखित नीति निर्धारित की जाती है:-

§ 1§ किसी व्यक्ति या संस्था ने सार्वजनिक कार्यों के लिए, जितमें
शैक्षिक उपयोग, अस्पताल खोलना तथा धर्मार्थ संस्था आदि
खोलना सम्मिलित है, भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना करें तो
संबंधित निकाय द्वारा इस संबंध में एक समिति गठित की जाये
जिसमें संबंधित विभाग के स्थानीय उच्चाधिकारी को भी
अवश्य रखा जाय । उदाहरणार्थ यदि शैक्षिक उपयोग के
लिये भूमि माँगी जाती है तो शिक्षा विभाग के स्थानीय
अधिकारी और यदि अस्पताल के लिये माँगी जाती है
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के स्थानीय उच्च अधिकारी
इस समिति में शामिल किये जायें । यह समिति संबंधित
संस्था जितने द्वारा भूमि की माँग की जा रही है, के बारे
में गहन जानकारी करेगी और उस संस्था को भूमि संबंधी
माँग का आँकलन कर अपनी आख्या आवास विकास परिषद
/प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगी ।

§ 2§

समिति से प्राप्त आख्या आवास विकास परिषद/

क्रमा:

विकास प्राधिकरण की बैठक के समक्ष रखी जाए,
और यदि विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद
द्वारा प्रस्ताव का औचित्य प्रमाणित होता है तो पारित
प्रस्ताव को अपनी संस्तुति सहित शासन को भेजा जाय ।

§ 3 § आवास एवं विकास परिषद/विकास प्राधिकरण से
प्रस्ताव प्राप्त होने पर शासन की स्वीकृति के उपरान्त
ही संबंधित संस्था को भूमि आवंटित की जाये ।

कृपया उपरोक्त आदेशों का अनुपालन तात्कालिक प्रभाव से किये
जाने सुनिश्चित करें ।

भवदीय,

§ कर्नल सिंह §
सचिव,
आवास विभाग ।

दिनांक 30.11.93को विभिन्न योजनाओं में स्कूल भूखण्डों के आवंटन के संबंध में समिति की हुई बैठक का कार्यवृत्त

उपरिस्थिति

- | | | | |
|----|---|---|---------|
| 1. | श्री अतुल कुमार गुप्ता
उपाध्यक्ष, ल.वि.प्रा. | - | अध्यक्ष |
| 2. | डा.एम.ए.ए.खान
सचिव, ल.वि.प्रा. | - | सदस्य |
| 3. | श्री के.पी.सक्सेना
कार्ट एकाउन्टेन्ट-एवं-
इकोनामिक प्लानर | - | सदस्य |
| 4. | श्री राजेन्द्र पाल सिंह,
बोसक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ | - | सदस्य |
| 5. | श्री कौशल किशोर,
प्रार्थना, जिला विद्यालय निरीक्षक
लखनऊ। | - | सदस्य |

विभिन्न योजनाओं में रिक्त स्कूल भूखण्डों का पंजीकरण समाचार पत्रों के माध्यम से दि016.7.93से दि031.7.93तक किया गया था और इस संबंध में जितने भी प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे उनका विवरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। समिति ने विचार विमर्श करने के पश्चात् निम्न स्कूलों को भूखण्ड आवंटित करने का निर्णय लिया :-

क्रम सं०	विद्यालय का नाम	सेक्टर का नाम	भूमि की मात्रा §व.मी.§	मान्यता का संदर्भ	किस स्कूल हेतु
क:	<u>कानपुर रोड योजना</u>				
1.	सेन्ट जेवियर्स डे स्कूल, डा-81, डा, एल0डी.ए.कालोनी, लखनऊ।	डी-1	4000.00	उ0प्र0शासन से कक्षा 5तक मान्यता प्राप्त है।	प्राइमरी स्कूल
2.	ऐ-स डे स्कूल, 559ख/429, श्रीनगर, आलमबाग, लखनऊ।	डी-1	5000.00	-तदेव-	- तदेव-
3.	सृष्टि देवी गर्ल्स इंटर कॉलेज, राम नगर, आलमबाग, लखनऊ।	डी	19664.25	इंटर तक मान्यता प्राप्त	इंटर स्कूल हेतु

ख: रायवरेली रोड योजना

- | | | | | |
|--|------------|---------|--|---------------------|
| 1. आर्शीयाद ब्वाज़ एंड गर्ल्स स्कूल कानपुर रोड, वाराधिरवा, लखनऊ। | रूचि खंड-2 | 4500.00 | उ०प्र०शासन से कक्षा 5 तक मान्यता प्राप्त है। | प्राइमरी स्कूल हेतु |
|--|------------|---------|--|---------------------|

ग: सीतापुर रोड योजना


- | | | | | |
|---|----|---------------------|--|----------------|
| 1. सनवीम स्कूल, 4/304, विकास नगर, अलीगंज, लखनऊ। | ए | 2880.00 | उ०प्र०शासन से कक्षा 5 तक मान्यता प्राप्त है। | प्राइमरी स्कूल |
| 2. एम.एल.मॉटेसरी स्कूल, एल-4, एम२ अलीगंज, लखनऊ। | ए | 2150.00 | -तदेव- | -तदेव- |
| 3. सरस्वती बालिका विधा मॉदर, वी-145, सेक्टर "के", अलीगंज, लखनऊ। | एफ | 8*88*88*
2500.00 | -तदेव- | -तदेव- |


घ: गोमती नगर योजना


- | | | | | |
|---|--------------|---------|--------|--------|
| 1. आलमाइटी स्कूल, 4/134, विके खण्ड गोमती नगर, लखनऊ। | विशाल खंड-3 | 2450.00 | -तदेव- | -तदेव- |
| 2. प्ले वे स्कूल, वी-3179, इन्दरा नगर, लखनऊ। | विकास खण्ड-5 | 2250.00 | -तदेव- | -तदेव- |


2. उपरोक्त सभी स्कूल चल रहे हैं तथा उनके द्वारा दिये गये विवरणों को सत्यापित करवाकर आवंटन हेतु निर्णय लिया गया है।


3. लखनऊ नगर महापालिका सफाई कर्मचारी मोर्चा लखनऊ ने स्वच्छकार कालोनी अम्बेदकर नगर में स्थापित महीर्षि सुपंच सुदर्शन विधालय हेतु 132000 च.फुट भूमि की मांग की है। इस भूमि की मांग ऐशवाग योजना में की गयी है। इस स्कूल को भूमि उपलब्ध कराये जाने पर विचार हुआ। यह पाया गया कि यह स्कूल मान्यता प्राप्त नहीं है, अतः प्रस्ताव निरस्त किया गया।


 § के. वी. सक्सेना §
 कार्ट फकाउन्टेन्ट


 § राजेन्द्र पाल सिंह §
 वीसक शिक्षा अधिकारी


 ज्योती विधालय निरीक्षक


 § डा. एम. ए. ए. खान §
 सचिव


 § अतुल कुमार गुप्ता §
 उपाध्यक्ष

विषय : डा0 अतुल खन्ना को आवंटित भूखण्ड संख्या: 34 नैपियर रोड पार्ट-2 के स्थान पर गोमती नगर योजना के अर्न्तगत भूखण्ड परिवर्तन का प्रस्ताव।

डा0 अतुल खन्ना को नैपियर रोड योजना के भाग-2 में 292.8 वर्गमीटर का भूखण्ड संख्या: 34, दिनांक 8-7-88 को आवंटित किया गया था। भूखण्ड जिसका मूल्य रु0 80,683.20 पै0 का पूर्ण भुगतान श्री खन्ना द्वारा दिनांक 19-8-88 को कर दिया गया था लेकिन प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमण होने के कारण उनके पक्ष में निबन्धन किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। नैपियर रोड योजना बहुत पुरानी होने के कारण इसमें कोई भूखण्ड वैकल्पिक आवन्टन हेतु उपलब्ध नहीं है। वर्तमान नियमों के अनुसार एक योजना से दूसरी योजना में भवन/भूखण्ड परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

अतः विशेष परिस्थितियों में डा0 अतुल खन्ना को भूखण्ड संख्या: 34 नैपियर रोड योजना भाग-2 के स्थान पर गोमती नगर योजना के अर्न्तगत भूखण्ड परिवर्तन का प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।

विषय : श्रीमती मन्जू जौहरी को अलीगंज योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या:बी-1/4/सी०एस० के परिवर्तन का प्रस्ताव।

श्रीमती मन्जू जौहरी को भूखण्ड संख्या: बी-1/4/सी०एस०, अलीगंज योजना में आवंटित हुआ था। भूखण्ड का पूर्ण मूल्य जमा करने के उपरान्त उनके पक्ष में भूखण्ड का निबन्धन दिनांक 1-7-83 को कर दिया गया। भूखण्ड के ऊपर से हाई-टेन्शन लाइन गुजरने के कारण निबन्धन के उपरान्त भी अभी तक भूखण्ड का कृष्णा उनके पक्ष में नहीं दिया जा सका है। श्री २०के०जौहरी मुख्त्यार आम श्रीमती मन्जू जौहरी ने प्रार्थनापत्र दिनांक 22-7-93 को प्रेषित कर अनुरोध किया है कि यदि भूखण्ड संख्या: बी-1/4/सी०एस०, अलीगंज का कृष्णा दिया जाना सम्भव न हो तो गोमती नगर योजना अथवा सीतापुर रोड योजना में दूसरा भूखण्ड आवंटित कर दिया जाये। यह ज्ञातव्य है कि हाई टेन्शन लाइन के हटाये जाने का अनुमानित व्यय भूखण्ड के मूल्य से बहुत अधिक होगा। ऐसी परिस्थिति में विकल्प के रूप में दूसरा भूखण्ड उपलब्ध कराया जाना ही प्राधिकरण हित में होगा।

अतः श्रीमती मन्जू जौहरी को आवंटित भूखण्ड संख्या:बी-1/4/सी०एस०, अलीगंज योजना के स्थान पर गोमती नगर योजना अथवा सीतापुर रोड योजना में परिवर्तित कर भूखण्ड आवंटित किये जाने का प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।

विषय: नकद भुगतान पध्दति पर आवन्टित भवन की धनराशि क्श्तों में लिये जाने से सम्बन्धित।

आख्या: श्री आर०के०सिंह को कानपुर रोड योजना में भवन संख्या: एल-164/एल नकद भुगतान पध्दति पर आवन्टित हुआ था। आवन्टी ने अपने प्रार्थनापत्र जिसकी प्रति सेंलग्न है, द्वारा सूचित किया है कि माह फरवरी 1993 में उनके पुत्र का एक्सीडेन्ट हो जाने के कारण उसके दोनो पैर कट गये जिसमें उन्हे काफ़ी धनराशि चिकित्सा में व्यय करनी पड़ी और अब उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वह नकद भुगतान पध्दति पर भवन लेकर एकमुश्त भुगतान कर सके। अतः उन्होने बीस वर्ष की क्श्तों में धनराशि लिये जाने हेतु अनुरोध किया है।

2. इस सम्बन्ध में यह उल्लेख करना है कि आवासीय भूखण्डों/भवनों के पंजीकरण/आवन्टन की प्रक्रिया की क्रम स०: 21 में यह स्पष्ट प्राविधान है कि यदि किन्ही परिस्थितियों में उपाध्यक्ष द्वारा नकद भुगतान क्श्त पध्दति में परिवर्तन किया जाता है तो आवन्टी को नकद भुगतान पध्दति के अन्तर्गत देय धनराशि की कम से कम पचास प्रतिशत धनराशि जमा करनी होगी, शेष अधिकतम पचास प्रतिशत धनराशि क्श्तों में परिवर्तित की जा सकेगी। इस पर परिवर्तन शुल्क बीस प्रतिशत देय होगा और बीस प्रतिशत शुल्क एवं पचास प्रतिशत धनराशि जमा होने के पश्चात् ही शेष पचास प्रतिशत या कम धनराशि की क्श्तें उस समय प्रचलित ब्याज दर से आधा प्रतिशत अधिक ब्याज सहित उपाध्यक्ष द्वारा अपने विवेक से की जायेगी। इस शर्त का कोई अपवाद भी नहीं है।

3. उपरोक्त प्रक्रिया प्राधिकरण §बोर्ड§ ने अपनी बैठक दिनांक 29-6-93 में अनुमोदित की थी। यद्यपि उपरोक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत उपरोक्त आख्या के अनुसार क्श्तें किया जाना सम्भव नहीं है। परन्तु मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए 15 वर्षों में मासिक क्श्तों में हुडको द्वारा निर्धारित ब्याज दर से एक प्रतिशत अधिक ब्याज दर से क्श्तें की जा सकती है। अतः प्रस्ताव है कि विशेष परिस्थितियों में मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए 15.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से 15 वर्षों में मासिक क्श्तों में आवन्टी से धनराशि लिये जाने हेतु कृपया स्वीकृत प्रदान कर दी जाय।

महोदय,

निवेदन यह है कि कानपुर रोड योजना लखनऊ

विकास प्राधिकरण से भवन संख्या-एल-164/एल मेरे नाम आवंटित

है । मेने उपरोक्त भवन की कास्टिंग 1,20,000/- बायो है मे एक

मुक्त पैसा जमा करने में असमर्थ हू क्योंकि मेरे बच्चे की दोनो पैर

कट गये है जिसके कारण मेरा पैसा अत्यधिक उर्ध्व हो गया है कि

आवेदन पत्र के साथ संलग्न है ।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मे पैसा फिर त्वार

देना चाहता हू । ताकि उपरोक्त धनराशि का भुगतान करने में

प्रार्थी समर्थ हो सके । महान दया होगी ।

भवदीय,

आर.के. सिंह

आर.के. सिंह

एल-164/एल कानपुर रोड

लखनऊ । 11-11-93

- 1- श्री आर.के. सिंह - सौ. नगर - रजि. कार
- 2- आयुक्त - ए.एन.के. मंडल
- 3- सचिव - अधिवास विभाग
- 4- उप. अधीक्षक - ए. वि. ए. ए.

लखनऊ



सुधी भाव
 अधिवास विभाग के लिए
 51-52 अ. 1
 11/12/93
 11/12/93

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 21 जनवरी, 1994

श्री आयुक्त, लखनऊ मण्डल/अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण
की अध्यक्षता में प्रातः 10-00 बजे सम्पन्न हुई, का कार्यवृत्त।

उपस्थिति:

- | | | |
|----|------------------------|--|
| 1. | श्री लक्ष्मी चन्द्र | आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं अध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ। |
| 2. | श्री अतुल कुमार गुप्ता | उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ। |
| 3. | श्री शंकर अग्रवाल, | विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
वित्त विभाग। |
| 4. | श्री जय शंकर मिश्रा | जिलाधिकारी,
लखनऊ। |
| 5. | श्री बी०के०सिंह यादव | मुख्य नगर अधिकारी,
नगर महापालिका, लखनऊ। |
| 6. | श्री दीपक कृष्ण वर्मा | अपर आयुक्त,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ। |
| 7. | श्री यू०सी०दास | विशेष कार्यधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन,
आवास विभाग। |
| 8. | श्री हरे कृष्ण शर्मा | मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
उत्तर प्रदेश। |
| 9. | श्री पी० के० पाण्डेय | मुख्य अभियन्ता,
उत्तर प्रदेश जलनिगम,
लखनऊ। |


=====
=====

अन्य उपस्थिति:

श्री रम०र०र०खान

सचिव,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

क्रमशः-----



म 21-1-94

- विषय संख्या: 1 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25 नवम्बर/ 2 दिसम्बर, 1993 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।
- निर्णय : कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
- विषय संख्या: 2 भूखण्ड संख्या: बी-1/25, अशोक मार्ग पर अनुमन्य भू-आच्छादन एवं तलानुपात के छूट विषयक।
- निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड पर 52 प्रतिशत ग्राउन्ड कवरेज तथा 200 रफ0र0आर0 की स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में जनता से सुझाव एवं आपत्तियों आमन्त्रित कर ली जायें। जनता से प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों की सुनवाई, पूर्व बैठक दिनांक 25 नवम्बर/2 दिसम्बर, 1993 में, इस सम्बन्ध में गठित समिति द्वारा की जायेगी तथा यह समिति अपनी संस्तुति बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगी।
- विषय संख्या: 3 स्कूल भूखण्डों के आवन्तन के सम्बन्ध में।
- निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि इस समिति में अपर जिलाधिकारी नगर को भी सम्मिलित किया जाये।
- विषय संख्या: 4 डा0 अतुल खन्ना को आवन्तित भूखण्ड संख्या: 34, नैपियर रोड पार्ट-2 के स्थान पर गोमती नगर योजना के अन्तर्गत भूखण्ड परिवर्तन का प्रस्ताव।
- निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि इस बात की जाँच की जाये कि भूखण्ड संख्या: 34, नैपियर रोड पर अतिक्रमण कब हुआ? अतिक्रमण स्थाई है अथवा अस्थायी प्रकार का है? इस अतिक्रमण के लिये कौन अधिकारी उत्तरदायी है? अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों? इस सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष आगामी बैठक में आव्या प्रस्तुत की जाये।
- विषय संख्या: 5 श्रीमती मन्जू जौहरी को अलीगंज योजना में आवन्तित भूखण्ड संख्या: बी-1/4, सी0रस0 के परिवर्तन के सम्बन्ध में।
- निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित संयुक्त सचिव स्थल का निरीक्षण करके यह देखें की प्रश्नगत हाई-टेन्शन लाइन से कितने भूखण्ड प्रभावित हैं? यह भी देख लिया जाये कि भूखण्ड पर अनधिकृत अतिक्रमण

म 2 जी 4-3

17/33

या निर्माण तो नहीं कर लिया गया है? यह भी स्पष्ट किया जाये कि प्रश्नगत भूखण्ड अनावन्तित हो जाने के उपरान्त प्राधिकरण इसे किस प्रयोजन हेतु प्रयोग करेगा।

विषय संख्या: 6 नकद भुगतान पध्दति पर आवन्तित भवन की घनराशि कितों में लिये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय:

विषय संख्या: 7क लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25 नवम्बर/2 दिसम्बर, 1993 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णय : प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया तथा निर्देश दिये गये कि उक्त बैठक में विषय संख्या:क-3 के अर्न्तगत किराये के भवनों के नामान्तरण के सम्बन्ध में पारित नई नीति का समाचार पत्रों आदि के माध्यम से समुचित प्रचार किया जाये।

विषय संख्या: 7ख लखनऊ विकास प्राधिकरण का आय-व्यय लेखा तथा बैलेन्स शीट, 31 मार्च 1990 पर अनुमोदनार्थ आख्या।

निर्णय : प्रस्ताव आगामी बैठक हेतु स्थगित किया गया तथा निर्देश दिये गये कि अवशेष बैलेन्स शीट्स को अतिशीघ्र बनवाया जाये एवं कम से कम अगली बैलेन्स शीट इसी वित्तीय वर्ष में प्रस्तुत कर दी जाय।

विषय संख्या: 7ग लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25 नवम्बर/2 दिसम्बर, 1993 के विषय संख्या: ख-6 " मोहल्ला कर्बला आगामीर, नरहा में स्थित नजूल भूखण्ड संख्या: 53/54 के पार्ट पर होटल बनाने के सम्बन्ध में " के अर्न्तगत गठित समिति की संस्तुति पर विचार।

निर्णय : पिछली बोर्ड की बैठक में इस सम्बन्ध में गठित समिति द्वारा दिनांक 20-1-1994 को हुई बैठक में बैठक की कार्यवाही संलग्न 1 में नजूल भूखण्ड संख्या: 53/54 के पार्ट पर होटल बनाये जाने की संस्तुति की गई। बोर्ड द्वारा उक्त संस्तुति का अनुमोदन किया गया।

(M)

33

म.प्र.प.र


विषय संख्या: 7॥घ॥

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा एक बार निर्णय लिये जाने के उपरान्त उस पर पुर्नविचार हेतु पुनः बैठक में प्रस्तुत किया जाना।


निर्णय:

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि यदि कोई प्रस्ताव प्राधिकरण द्वारा एक बार अस्वीकृत कर दिया जाता है तो छह माह की अवधि व्यतीत होने से पूर्व दुबारा प्राधिकरण के समक्ष पुर्नविचार हेतु प्रस्तुत नहीं किया जायेगा। यह प्रतिबन्ध उन मामलों में लागू न होगा जहाँ कोई ऐसा नया तथ्य सामने आया हो जो महत्वपूर्ण हो तथा जिसके आधार पर भिन्न निर्णय लिये जाने की सम्भावना हो।

अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।




॥ अतुल कुमार गुप्ता ॥
उपाध्यक्ष



॥ राम-र-र-खान ॥
सचिव

अ नु मो दि त



॥ लक्ष्मी चन्द्र ॥

आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

